-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ थाना नकुड़ से चोरी के अभियोग में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी,लूट,डकैती,नकबजनी,छिनैती एंव गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14/15.09.2025 की रात्रि को शाकुम्भरी चौकी इंचार्ज एंव बादशाही बाग चौकी इंचार्ज के द्वारा मय फोर्स ग्राम कासिमपुर पुलिया से शेखपुरपेलो की पुलिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम कासमपुर पुलिया की तरफ से एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल मोड़ कर हड़बड़ी में ग्राम कासमपुर की तरफ जाने वाली रोड पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया। कुछ दुरी पर जाकर बदमाशो की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई व बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर खेतो की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश अंधेरे व खेतो का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **अफसर पुत्र इकराम निवासी बुढ्ढाखेड़ा थाना गंगोह सहारनपुर** के रुप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 250/25 धारा 305 (ए) बी.एन.एस व मु0अ0सं0 253/25 धारा 305 (ए), बी.एन.एस. के मुकदमें में 25000/- रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -160/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. मुकदमें से संबंधित 01 बिना नम्बर प्लेट की की मोटरसाइकिल बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 173/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अफसर उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर पिछले 01-02 माह में ही बादशाहीबाग निरंकारी सत्संग भवन से इन्वर्टर व बैटरा व अलटीनेटर व गैस सिलेण्डर व लैमन घास प्लाट से 04 बडे बैटरे व इन्वर्टर सोलर लाइट व एक ट्रैक्टर का बैटरा, एक टूलू पम्प व थाना बेहट क्षेत्र के आनन्द फार्म हाउस से जनरेटर का अलटीनेटर व थाना नकुड क्षेत्र में तेल चोरी व जनरेटर का एल्टीनेटर, बिजली के तार आदि चोरियो की गयी थी तथा जो मोटर साइकिल मुझसे बरामद हुई है वह भी मेरे द्वारा मिर्जापुर से ही चोरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अफसर पुत्र इकराम निवासी बुढ्ढाखेड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल इंजन नम्बर HA11ERLHG01950 व चेचिस नम्बर MBLHACO45LHH02814 (मु0अ0सं0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर)

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 37/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 12/23 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 13/23 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 122/23 धारा 414 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 348/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 349/21 धारा 414/465 भादवि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 165/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 168/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 173/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 401/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. हेका0 391 योगेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. हेका0 37 अमरदीप सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 03 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 इन्वर्टर, 08 बैटरे, 01 वैल्डिग मशीन, 02 सोलर प्लेट, 02 मोबाइल फोन, 02 तमंचे व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती एंव गोकशी आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग को दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण **1.तहकीक पुत्र ताहिर निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2.गुलशेर उर्फ गुल्लू पुत्र मेहरबान निवासी मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 3.अफजल पुत्र शमीम निवासी मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को माता शाकुम्भरी युनिवर्सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से व 02 इन्वर्टर, 08 बैटरे, 01 वैल्डिग मशीन, 02 सोलर प्लेट, 02 मोबाइल फोन, 02 तमंचें व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 427/25 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. तहकीक पुत्र ताहिर निवासी ग्राम मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।
2. गुलशेर उर्फ गुल्लू पुत्र मेहरबान निवासी मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।
3. अफजल पुत्र शमीम निवासी मुगलमाजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस
- 02 इन्वर्टर
- 08 बैटरे
- 01 वैल्डिग मशीन
- 02 सोलर प्लेट
- 02 मोबाईल फोन

अभियुक्त तहकीक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 397/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 408/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

4. मु0अ0स0 265/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 285/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 427/25 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त गुलशेर उर्फ गुल्लू का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 397/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 408/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 265/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 285/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 427/25 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त अफजल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 397/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 160/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 408/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 265/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 285/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 427/25 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री संजीव कुमार स्वाट टीम प्रभारी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अमनपाल सिह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 973 मोहित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 572 प्रवीण गिरी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 447 अमरदीप सिह स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 81 हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 681 वसीम स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
10. है0का0 1016 मनदीप सिह स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
11. का0 2252 गुलशन यादव थाना को0 दहात जनपद सहारनपुर।
12. का0 2244 अनुराग यादव थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
13. का0 2314 युधिष्ठर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
14. का0 250 अखिलेश कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
15. का0 405 गौरव कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
16. का0 2229 अमित कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार, कब्जे से 2710/- रुपये, पर्चा सट्टा गत्ता बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2025 को चैकिग /गस्त के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 01 जुआरी विक्की पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को खाडीबाडी करते समय बेहट रोड राधास्वामी सतंसग ब्यास के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सट्टा गत्ता पैन व 2710/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 426/25 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विक्की पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 2710/- रुपये नगद
- पर्चा सट्टा गत्ता पैन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 51/25 धारा 115(2)/351(3)/352 चालानी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 736 दीपक कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 934 रुपेन्द्र कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटानओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 इन्वर्टर, 05 बैटरे व 01 टुल्लू पम्प बरामद

अवगत कराना है कि दिनाकं 06.09.2025 को वादी सुशील पूत्र सुमेरचन्द निवासीग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा संत्संग भवन बादशाहीबाग से एक बैटरा, एक इन्वर्टर, जनरेटर का डायनमो व खाली सिलेण्डर आदि सामान चोरी होने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 165/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 305ए बीएनएस का विलोपन कर धारा 309(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

तथा दिनाकं 08.09.2025 को वादी शब्बीर पुत्र अली हसन निवासी ग्राम अलीपुर भागूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा अलीपुर भागूवाला जंगल में लेमन घास प्लाट से सौलर लाइट के 04 बैटरे, 01 सौलर लाइन का इन्वर्टर व एक टुल्लू पम्प चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मिर्जापुर पर मु0अ0स0 168/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया गया। तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 305ए बीएनएस का विलोपन कर धारा 309(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरमदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में दिनाकं 14.09.2025 की रात्रि को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अफसर पुत्र इकराम निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त अफसर ने पूछताछ में बताया कि मैने अपने साथी उस्मान के साथ मिलकर ये चोरी की थी, उसमें से लेमन घास प्लाट से चोरी हुआ माल मेरे द्वारा अपने साथी उस्मान को दिया था व सत्संग भवन से चोरी किया गया माल मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को बेच दिया है। उक्त सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस एवं स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनाकं 15.09.2025 को अभियुक्त **1.मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी सम्पत्ति में 01 बैटरा, 01 इन्वर्टर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 165/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर) के साथ रायपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त **2.उस्मान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को लेमन घास प्लाट से लुटे गये सामान 04 बैटरे, 01 सौलर लाइन का इन्वर्टर व 01 टुल्लू पम्प (सम्बन्धित मु0अ0स0 168/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर) के साथ शेरपुर पेलों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही अन्तर्गत धारा 309(4)/317(2) बीएनएस में की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- गिरफ्तार अभियुक्त उस्मान ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने ये चोरी अपने साथी अफसर के साथ मिलकर बादशाहीबाग निरंकारी सत्संग भवन से इन्वर्टर व बैटरा व अलटीनेटर व गैस सिलेण्डर चोरी किये गये थे, वह हम लोगो ने मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को बेच दिया था तथा अलीपुर भागूवाला लेमन घास प्लाट से जो सामान चोरी हुआ था वह मैने अपने पास रख लिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. मुस्तकीम पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उस्मान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 02 इन्वर्टर
- 05 बैटरे
- 01 टुल्लू पम्प

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर जनपद सरहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार स्वाट टीम प्रभारी जनपद सरहारनपुर।
3. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर।
6. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
7. हे0का0 391 योगेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
8. हे0का0 37 अमरदीप सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 447 अमरदीप सिँह स्वाट टीम सहारनपुर।
10. है0का0 81 हरेंद्र कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
11. है0का0 681 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर।
12. है0का0 07 सचिन शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर।
13. है0का0 1016 मनदीप सिंह स्वाट टीम सहारनपुर।
14. का0 250 अखिलेश कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
15. का0 405 गौरव स्वाट टीम सहारनपुर।
16. का0 2229 अमित कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।

दिनांकः 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2025 को तलाश व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा एक वारंटी अभियुक्त **फैय्याज उर्फ फैजान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद संख्या 4495/10 मु0अ0स0 208/10 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

1. फैय्याज उर्फ फैजान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2106 लोकेन्द्र सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मो0 साईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करके 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मो0 साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2025 को वादी श्री सोनू उर्फ कृष्णपाल पुत्र हुकम सिंह निवासी नसरतपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0 साईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0नं0 UP 11AF 7674 को दिनांक 14.09.25 की दोपहर किरण हेल्थ सैन्टर के पास से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में मो0 साईकिल चोरी जैसी घटना की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री परविन्दर पाल के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.09.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभि0गण 1. विकास पुत्र रामकलां नि काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर- उम्र 19 वर्ष 2. आशु पुत्र सतीश नि0- काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर उम्र करीब 28वर्ष को एसबीडी अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0गणो के कब्जे से चोरी की गयी मो0 साईकिल रजि0 नं0-UP11AF-7674 को बरामद किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विकास पुत्र रामकलां निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. आशु पुत्र सतीश निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 शिवम चौधरी थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है0का0 580 उस्मान अली थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. का0 2052 रोहित थाना जनकपुरी, सहारनपुर
4. का0 2392 लविश कुमार थाना जनकपुरी,सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:15.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध पशु कटान करने वाले 05 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, 03 छुरा नाजायज, 02 दाव, 01 कुल्हाडी, 03 स्टील रॉड, 01 इलैक्ट्रोनिक कॉंटा, 02 रस्सी, करीब 02 कुन्तल (भैंस) का मांस, 01 जिन्दा कटरा बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.9.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम मुखबिर खास की सूचना पर मौहल्ला आली में तेलियों वाला चौक के सामने वाली दुकान मे बिना अनुमति के पशु कटान करने वाले अभियुक्त **1. मुर्सलीन पुत्र स्व0 अल्ताफ निवासी मौहल्ला लोहानी सराय निकट बकरी वाला चौक थाना कुतुबशेर सहारनपुर 2. बिल्लू पुत्र स्व0 याकूब निवासी दाऊदसराय निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर 3. मक्की पुत्र स्व0 हाजी रिजवान निवासी बुड्ढी माई चौक निकट यमुनादास स्कूल थाना कुतुबशेर सहारनपुर 4. आबिद पुत्र स्व0 रशीद अहमद निवासी मौहल्ला ढोली खाल निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर 5. परवेज पुत्र बन्दा हसन निवासी निकट मूसा पैलेस रोड झूलों वाली गली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। तथा 03 छुरा नाजायज, 02 दाव, 01 कुल्हाडी, 03 स्टील रॉड, 01 इलैक्ट्रोनिक कॉंटा, 02 रस्सी, करीब 02 कुन्तल (भैंस) का मांस, 01 जिन्दा कटरा बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 374/25 धारा 190/191(2)/191(3)/271/272/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मुर्सलीन पुत्र स्व0 अल्ताफ निवासी मौहल्ला लोहानी सराय निकट बकरी वाला चौक थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. बिल्लू पुत्र स्व0 याकूब निवासी दाऊदसराय निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मक्की पुत्र स्व0 हाजी रिजवान निवासी बुड्ढी माई चौक निकट यमुनादास स्कूल थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. आबिद पुत्र स्व0 रशीद अहमद निवासी मौहल्ला ढोली खाल निकट ऊँची मस्जिद थाना कुतुबशेर
5. परवेज पुत्र बन्दा हसन निवासी निकट मूसा पैलेस रोड झूलों वाली गली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 03 छुरा नाजायज,
- 02 दाव,
- 01 कुल्हाडी,
- 03 स्टील रॉड,
- 01 इलैक्ट्रोनिक कॉंटा,
- 02 रस्सी, करीब

- 02 कुन्तल कटडा (भैंस) का मीट,
- 01 जिन्दा कटरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित प्रसाद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 539 निवेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: **15.09.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2025 को वादी रवि सैनी पुत्र महावीर निवासी श्यामपुरी कालोनी धोबी घाट थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1.शालू पत्नी सौरभ निवासी शेख जादगान थाना नानौता सहारनपुर 2.ममतेश पत्नी अजीत निवासी उपरोक्त 3.रोबिन पुत्र नामलूम निवासी नामालूम द्वारा वादी के भाई सौरभ को आत्महत्या के लिये उकसाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 260/25 धारा 108/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। पूर्व में अभियुक्ता 1. शालू पत्नी सौरभ 2- ममतेश पत्नी अजीत की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **रोबिन उर्फ रोबिन्द्र पुत्र ओमसिंह निवासी नैनपुर थाना नानौता सहारनपुर** को ननौता रमन पैथोलोजी लैब से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोबिन उर्फ रोबिन्द्र पुत्र ओमसिंह निवासी नैनपुर थाना ननौता सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र सिंह नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 8278 विष्णु थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक:15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.09.2025 को पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.आजाद उर्फ दीपक पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर को ग्राम मीरपुर तिराहे से के पास कस्बा नकुड की तरफ से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दो अलग अलग प्लास्टिक के कट्टो में 12 – 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 374/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों हरियाणा राज्य से कम दामों में शराब लाकर यहाँ अधिक दामो में बेचकर पैसे कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सलीम पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. आजाद उर्फ दीपक पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का (अभियुक्त सलीम से बरामद)
- 12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का (अभियुक्त आजाद से बरामद)

अभियुक्त सलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 106/23 धारा 380/411/427 भादवि थाना नकुड,सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 387/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना नकुड,सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 80/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना नकुड,सहारनपुर

अभियुक्त आजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 23/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नकुड,सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 106/23 धारा 380/411/427 भादवि थाना नकुड,सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 163/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड,सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

3. उ0नि0 श्री शौकिन खान थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2025 वादी राधेश्याम पुत्र गेन्दाराम निवासी बडतला यादगार थाना मन्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1.शीतल पुत्री पवन कुमारी निवासी निकट औघड़नाथ मन्दिर, बांस वाली कोठी, मेरठ कैन्ट 2- राहुल पुत्र नामालूम निवासी नामालूम 3-शीतल के परिवारिजन नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र मोनू को आत्महत्या के लिये उकसाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 310/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता **शीतल पुत्री पवन निवासी औघरनाथ मन्दिर थाना सदर बाजार मेरठ को रायवाला चौक सहारनपुर** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शीतल पुत्री पवन निवासी औघरनाथ मन्दिर थाना सदर बाजार मेरठ को रायवाला चौक सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अमित प्रसाद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. म0है0का0 1129 कविता थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 633 फुरकान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. का0 2278 विष्णु थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः **15.09.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.10.2019 को वादी उ0नि0 सुशील कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा अभियुक्त जाकिर पुत्र जहूर नि0 ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के कब्जे से 15.22 ग्राम स्मैक बरामद होने की सूचना पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-282/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-906/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15.09.2025 को अभियुक्त जाकिर पुत्र जहूर निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0-282/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उ0नि0 ऋषिपाल सिंह

पैरोकार-है0का0 669 अजय राणा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त फावडा, बलकटी, लाठी बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 06/06/2025 को वादी मनीष पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम विश्नोट थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा थाना गगोंह पर इस आश्य का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त 1.आशु पुत्र बिजेन्द्र, 2. बादशाह पुत्र बिजेन्द्र 3.आर्यन पुत्र नवाब 4.आदित्य पुत्र नवाब 5.रवि पुत्र बाबू राम 6.जोनी पुत्र राजेश 7. गौरव पुत्र ईशम समस्त निवासीगण ग्राम विश्नोट थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा एक राय होकर लाठी, डन्डो, सरियो व रॉड से लैस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व उसके परिजनो के साथ गाली गलौच कर व जान से मारने की नियत से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध मे थाना गगोंह पर मु०अ०स० 200/25 धारा 191(2),191(3),333,115(2),110,352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 109(1) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफतारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15/09/2025 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **जोनी पुत्र राजेश निवासी ग्राम विश्नोट थाना गंगोह सहारनपुर** को ग्राम विश्नोट से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर मारपीट में प्रयुक्त फावडे, बलकटी, लाठी आदि भी बरामद की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण – अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे व मनीष के परिवार का पुराना विवाद है । दिनांक 17/05/2025 मनीष के घर वाले अपने घर के पास मिट्टी का डलवा रहे थे तो मिट्टी का ट्रैक्टर हमारे बिटोडे से टकरा गया था जिस कारण हम दोनो परिवार में कहासुनी हो गयी थी। कहासुनी होने के कारण हम लोग काफी परेशान से थे मैने व मेरे परिवार के अन्य सदस्यो ने उसी दिन रात को मनीष के घर जाकर लाठी, डण्डो, बलकटी व फावडे आदि से उसके व उसके परिवार वालो के साथ मारपीट कर उन्हे घायल कर दिया था जिसके बाद हम लोग वहां से भाग गये थे लेकिन आज पुलिस ने मुझे पकड लिया तथा जो मेरे द्वारा लाठी, बलकटी व फावडे जो मेरे द्वारा पुलिस को बरामद कराये गये है ये वही है जिनसे मेरे व मेरे परिवार के सदस्य ने मनीष व उसके परिवार के साथ मारपीट की थी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जोनी पुत्र राजेश निवासी ग्राम बिश्नोट थाना गंगोह जिला सहानपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 फावडा
- 01 बलकटी
- 02 लाठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मुबारिक अली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 376 जब्बाद थाना गगोंह जनपद सहारनपुर
4. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.25 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना बाबत उसकी नाबालिग लड़की के बिना घर से बताये कहीं चले जाने के संबंध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0स0 205/25 धारा 137(2) भा0न्या0सं0** बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जिसमें पीडिता की बरामदगी के उपरान्त बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस एवं मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही की गयी तो पीडिता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसको चाय व खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 64(1),123 भा0न्या0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढौत्तरी की गयी एवं घटना कारित करने वाले अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र फत्याब निवासी निवासी गली नं0 10 नर्सरी मजीदपुरा के पास थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.09.25 को **अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र फत्याब निवासी निवासी गली नं0 10 नर्सरी मजीदपुरा के पास थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ को** ग्राम खेडा अफगान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र फत्याब निवासी निवासी गली नं0 10 नर्सरी मजीदपुरा के पास थाना को0नगर जनपद हापुड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3.कां0 1806 योगेश कुमार नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4.कां0 1890 मोन्टी चौधरी नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 32 मुकदमों मे बरामद 296 लीटर अवैध शराब (अनुमानित कीमत 1,90,800/- रुपये) को माननीय न्यायालय के आदेश से कराया गया विनष्टीकरण

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन-2" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद सहानपुर के आदेश के अनुपालन में श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सदर महोदय द्वारा नामित श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में तथा श्री मुनीशचन्द क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम व श्री विकाश कुशवाहा सहायक अभियोजन अधिकारी, व श्री अक्षय कुमार, आबकारी निरीक्षक सैक्टर- I जिला सहारनपुर एवं श्री ह्रदय नारायण सिह प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.09.2025 को वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 32 अभियोगों में बरामद कुल 292 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 190800/- रुपये को इस्लामिया डिग्री कालेज के सामने थाना कुतुबशेर की बिल्डिग परिसर मे खाली पडी जमीन में जे0सी0बी0 से गहरा गढ्डा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर नष्ट किया गया। व समस्त कार्यवाही की वीडियो ग्राफी करायी गयी

नष्ट की गये माल का विवरणः-

- देशी शराब करीब 41 लीटर
- अंग्रेजी शराब करीब 255 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीमः-

1. श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर।
2. श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जिला सहारनपुर।
3. श्री अक्षय कुमार, आबकारी निरीक्षक सैक्टर- I जिला सहारनपुर।
4. श्री ह्रदय नारायण सिह प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. श्री विकाश कुशवाहा सहायक अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
6. हैड मोहर्रिर 468 सुरेन्द्र कुमार, थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 15.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3100/- रूपये (मोबाईल चोरी से सम्बन्धित) 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2025 को थाना कुतुबशेर पर वादी मुकदमा श्री मोहित भारद्वाज पुत्र सुनील कुमार, निवासी गांव सेरिया, थाना बेरी, जिला झज्जर हरियाणा द्वारा 02 अज्ञात बाइक सवारो द्वारा वादी का मोबाईल छीन लेने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 304 बीएनएस बनाम 02 अज्ञात बाईक पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो व चोरी/छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 15.09.2025 को रात्रि में मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त **शराफत पुत्र तय्यब निवासी उमरा मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को **नहर पटरी ग्राम थरोली जाने वाले मार्ग** से गिरफ्तार किया गया **अभियुक्त के कब्जे से 3100/- रूपये ,01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।** बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शराफत उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 340/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 199/2025 धारा 304 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त शराफत उपरोक्त ने बताया कि मैंने व मेरे साथी ने लगभग 02- 03 महीने पहले रात्री को समय 09.00 - 09.30 बजे के आसपास नकुड तिराहे से चोपड़ा फैक्ट्री के बीच पैदल जा रहे एक व्यक्ति से एप्पल का मोबाइल छीना था मोबाइल नीले रंग का था, मोबाइल छीनकर हम मानक मऊ की ओर भाग गए थे। उसी मोबाइल को मेरे साथी ने कुछ दिन बाद दिल्ली मे राह चलते व्यक्ति को 15000/- रुपये मे बेच दिया था तथा पैसे आपस मे बाँट लिए थे, उन्ही रुपयों मे से यह 3100 रुपये बचे हैं, जो मुझसे बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- शराफत पुत्र तय्यब निवासी उमरा मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3100/- रूपये (मु0अ0सं0 199/2025 धारा 304 बीएनएस में छीने गये मोबाईल से सम्बन्धित)

अभियुक्त शराफत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 77/13 धारा 398,401 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
2- मु0अ0स0 80/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

3- मु0अ0स0 302/13 धारा 110 जी, सीआरपीसी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
4- मु0अ0स0 199/2025 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
5- मु0अ0स0 340/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1157 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2503 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2336 गौरव कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।